कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक :7097 / वाद सं0 सी–0156 / एस–मांजरीग्रान्ट / 2023 दिनांक 04/12/ ,2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

श्री बुद्ध देव सेमवाल, श्री सुशील डिमरी, श्री विशम्बर पाल, श्री बहुगुणा एवं अन्य निकट–शेरगढ मार्ग, माजरीग्रान्ट, तहसील–डोईवाल, देहरादून बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 10 बीघा भूमि में अनाधिकृत भू–विन्यास हेतु सड़क सीमांकन व भूखण्डो का डिमार्केशन आदि का कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा विकास कार्य राके जाने की कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण वाद सं0 सी–0156 / एस–मांजरीग्रान्ट / 2023 योजित किया गया। उक्त वालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक15/12/23. ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
डोईवाला।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर उपस्थित होकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करे।
3. थानाध्यक्ष, डोईवाला, को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त सहायक अभियन्ताओं / अवर अभियन्ताओं (इलैक्ट्रीकल्स) / समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एंव ध्वस्तीकरण से संबंधित सामान संबंधित सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. श्री बुद्ध देव सेमवाल, श्री सुशील डिमरी, श्री विशम्बर पाल, श्री बहुगुणा एवं अन्य निकट–शेरगढ मार्ग, माजरीग्रान्ट, तहसील–डोईवाल, देहरादून, पत्रांक सख्या 6746 दिनांक 01.11.2023 शेष आदेश यथावत रहेगें। स्थल पर उपलब्ध रहें और अपना समान स्वयं हटा लें।

पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
डोईवाला।

कार्यालय तहसीलदार 5/12/23 डोईवाला

7+2-23